तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही ... [illegible]
10/06/22	पत्रावली आज पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। विपक्षीगण को कोर्ट समय में तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई गई। आवाज आवाजें दिलाने के [illegible] अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते TDR रिपोर्ट दिनांक 15/6/22 को [illegible] शिविर रतनपुरा पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
15/06/22	पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 [illegible] कैम्प ग्रा. प. मु. मुख्यालय रतनपुरा पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। TDR रिपोर्ट ली गई तथा मजमेआम जानकारी ली गई। आदेश अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में मजमे आम सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुदा होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:05:21 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

[illegible]ीन अधिकारी :– श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी

[illegible]न. 09 / 2022

प्रार्थी

1. केसरसिंह पुत्र भैरसिंह
   जाति राजपूत निवासी आनन्द नगर भेडाणा गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. मानाराम पुत्र पाताराम
2. लाखाराम पुत्र पाताराम
   जाति कलबी निवासी आनन्द नगर भेडाणा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
3. शाखा प्रबन्धक आर.एम.जी.बी. शाखा सडा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए की उपधारा 1
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संशोधन अधिनियम 2010)

–: निर्णय :–

दिनांक :– 15/6/22

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A रा.का.अ. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि राजस्व ग्राम आनन्द नगर पटवार क्षेत्र भेडाणा तहसील गुड़ामालानी में खेत खसरा नम्बर 182 क्षेत्रफल 27.2839 हैक्टेयर की आई हुई है इसमें आने जाने हेतु कोई राजकीय कटान मार्ग नहीं है, हमारे पाडौसी विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 189 रकबा 27.2839 हैक्टेयर ग्राम आनन्द नगर, भेडाणा में से ही आ जा सकते हैं। इसी रास्ते का उपयोग पीडियों से करते आ रहे हैं। हरबार वारिस में काश्त करने से रास्ता अवरूद्ध हो जाता है तथा विप्रार्थीगण आने जाने में झगड़ा करते हैं। अतः हमारी खातेदारी खेत खसरा नम्बर 182 से कटान मार्ग तक आवागमन हेतु विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 189 ग्राम आनन्द नगर में से संलग्न ''परिशिष्ठ–अ'' अनुसार राजस्व रेकर्ड में कटान मार्ग अपलिखित करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से विप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। विप्रार्थी संख्या 4 तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिर्पोट दिनांक 15.06.2022 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 182 से सरकारी कटान मार्गतक पहुंचने हेतु खसरा नम्बर 189 मेंसे होकर गुजरना ही सबसे नजदीकी एवं एक मात्रविकल्प है। विप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 189 [illegible] लम्बाई 25 गठ्ठा चौडाई 3 गट्ठा है जिसका कुल रकबा 0–04 बीघ[illegible] प्रस्तावित रास्ते पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं है, भूमि [illegible] नजरी नक्शा में प्रस्तावित कर रास्ता राज[illegible]लिखित किये जाने की अनुशंषा की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:05:21 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी के आवेदन पर गंभीरता व गहनता से मनन करते हुए तथा प्रार्थी की अत्याधिक आवश्यकता को देखते हुए तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपनी रिर्पोट दिनांक 15.06.2022 के संलग्न परिशिष्ट 'अ' में दर्शाए ''हरा रंग मार्क'' अनुसार कटान मार्ग से प्रार्थी की आराजी खेत खसरा संख्या 182 ग्राम आनन्द नगर में आने–जाने हेतु विप्राथीगण की आराजी ग्राम आनन्द नगर के खेत खसरा